द्वितीय अपील /2015
प्रस्तुति दिनांक 15-9-2015

श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.) के न्यायालय में

अपील 17040/PBR/15

श्रीमती निशा पति महेन्द्र सुगंधी
निवासी 1 आडा बाजार
इन्दौर (म.प्र.) ---- अपीलांटस

विरूद्ध

1– म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर महोदय
क्लेक्टर कार्यालय
इन्दौर म.प्र.

2– कलेक्टर आफ स्टाम्प एवं जिला पंजीयक
जिला इन्दौर म.प्र. -- रिस्पाडेंटस

47-क (5) भारतीय स्टाम्प अधिनियम

द्वितीय अपील धारा म.प्र. भू–राजस्व संहिता के तहत

सहपठित नियम 9, भारतीय स्टाम्प (म.प्र. लिखतों का न्यून) अपीलांट का निवेदन निम्न प्रकार है :- मूल्यांकन निवारण

1– यह कि यह अपील न्यायालय आयुक्त संभाग इन्दौर द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 73/अपील/स्टाम्प/2014–15 श्रीमती निशा विरूद्ध म.प्र. शासन में पारित आदेश दिनांक 12–8–2015 से असंतुष्ट होने पर यह द्वितीय अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है (आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है)।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 7040–पीबीआर/2015 [श्रीमति निशा/शासन] **जिला इंदौर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.04.2016	उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–8–2003 के विरूद्ध अपील दिनांक 6–5–2015 को लगभग 12 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है और विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन पत्र मय शपथपत्र के आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में आयुक्त द्वारा अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता एवं अनियमितता नहीं की गई है । चूँकि अपीलार्थी द्वारा विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है और इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा लिखित तर्क में केवल यही कहा गया है कि आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपील मेमों में विलम्ब का कारण दर्शाये जाने से अतिरिक्त आवेदन देना आवश्यक नहीं है, जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन मय शपथपत्र के प्रस्तुत करने का आज्ञापक प्रावधान है । दर्शित परिस्थितियों में आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है । 2/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–8–2015 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है । (हस्ताक्षर) **अध्यक्ष**	
(हस्ताक्षर)		